

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

SELECTION AND APPOINTMENT CELL

NOTICE

No. 455(A)/S & A Cell /2018 Dated: Allahabad: May 31, 2018

In compliance with the judgment order dated 30.06.2016 of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow, passed in W.P. No. 14654 (S/B) of 2016 Birendra Singh Vs. State of U.P. & other and subsequent order passed by Hon'ble the Chief Justice, the questions of Direct Recruitment Examination of U.P. Higher Judicial Service-2018 will be framed in both Hindi and English.

However, if there is any conflict/difficulty in understanding the nature of the question, the questions framed in English shall prevail and answer to the question will be considered and assessed in the light of the question in English.

Mayank Kr Jain
31.5.18
(Mayank Kumar Jain)

Registrar (J)
Selection & Appointment/Seniority

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

चयन एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ

विज्ञप्ति

No. 455(B)S & A Cell /2018 Dated: Allahabad: May 31, 2018

रिट याचिका संख्या 14654 (एस/बी) 2016 - बीरेन्द्र सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 30.06.2016 के परिपेक्ष्य में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के प्रश्नपत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे।

यदि किसी प्रश्न या उसकी प्रकृति को समझने में कोई कठिनाई होती है, तो अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न को आधार माना जायेगा तथा इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न के प्रकाश में किया जाएगा।



(मयंक कुमार जैन)

निबंधक (न्यायिक)

चयन एवं नियुक्ति/वरिष्ठता

21.02.20